न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

(बइजलास सावन कुमार चायल R.A.S.)

वाद सं0 :– 92/2008

तारीख दायरा :– 12.06.2008

तारीख फैसला :– 21.06.2017

सीताराम पुत्र लादू जाति ब्राहमण निवासी बिसालू तह0 फागी जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. मोहन
2. जगदीश
3. राधेश्याम पुत्रान लादू जातियान ब्राह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
4. मोहनी देवी पत्नी स्वं0 रामावतार जाति ब्रह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
5. अभिषेक
6. अरविन्द
7. अंकित पुत्रान स्वं0 रामवतार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मोहनी देवी पत्नी स्वं0 रामवतार जाति ब्राह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
8. तहसीलदार तहसील फागी

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निशेधाज्ञा

उपस्थित वकील वादीः– **श्री सुरेन्द्र शर्मा, श्री रवि कुमार जैन एडवोकेट**

उपस्थित प्रतिवादीगणः– **श्री रमेश चन्द शर्मा एडवोकेट**

पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 21.06.2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी नें एक वाद घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निशेधाज्ञा के तहत्त पेश कर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 444/678 कुल रकवा 5 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम बिसालु तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार 2

वाद पत्र के पैरा नं0 2 में सिजरा खानदान प्रस्तुत कर बताया की विवादीत आराजीयात संयुक्त परिवार की आराजी है। मोहन व जगदीश परिवार में बडे थे, जबकि अन्य प्रतिवादीगण व वादी नाबालिग थे। वादी व प्रतिवादीगण एक ही पविार में रहते आ रहे थे। आपस में खर्चा भी संयुक्त कमाई से ही चलता था। तथा विवादीत आराजीयात को संयुक्त परिवार की आमदनी से मोहन व जगदीश ने क्रय कर ली तथा विवादीत आराजीयात संयुक्त परिवार की आराजीयात है। वादी व अन्य प्रतिवादीगण वरवक्त क्रय नाबालिग थे। इस कारण स्वं0 लादू ने विवादीत आराजीयात अपने ज्येष्ठ पुत्रों मोहन व जगदीश के नाम क्रय कर ली जबकि उक्त आराजीयात लादू की सम्पति है। जिसमें प्रत्येक वारियाान का अर्थात लादू के वारिसान पुत्रों का 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है। पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं0 10 2 को हमेशा अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण सं0 1, 2 ने हमेशा ही आश्वासन दिया की जमीन पर कब्जा तो सभी का ही है। जब चाहो तब तुम्हारे नाम लगवा देगे। इस पर दिनांक 04.052.2008 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 को अपना हिस्सा नाम लगवाने के कहा तो प्रतिवादीगण वादी के नाम जमीन लगवाने से इंकार हो गया अत एवं उक्त वाद श्रीमान की सैवा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं तथा निवेदन किया विवादीत आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को 1/5 –1/5 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल बाजी नही करें। इस पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादी उपस्थित हुआ और लोक अदालत की भावना के अनुसार दोनो पक्षों की और सें राजीनामा व ईकवालिया जवाब प्रस्तुत किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया दोनों पक्षों ने राजीनामों के तथ्य को स्वीकार करते हुये वाद को वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। इस पर वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र वादी स्वयं सीताराम पी.डब्ल्यु 1, पी.डब्ल्यु 2 गोपालदास, पी.डब्ल्यु 3 शंकरलाल के बयान करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
कानी (जयपुर)

लगातार 2

हमने वकील वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनने व उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पुर्वक मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि पक्षकारो ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ती नहीं की हैं तथा वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में न्यायिक दृटान्त आर. बी. जे. 1999 पृष्ठ सं0 531, आर. बी. जे. 1998 पृष्ठ सं0 615, आर. बी. जे. 1994 पृष्ठ सं0 134, आर. आर. डी. 2006 प्रस्तुत की जो वादपत्र पर पुर्णतया चस्पा होती है।

अतः लोक अदालत की भावना के अनुरुप मुताबिक राजीनामा वादी का वाद बिरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 444/678 रकवा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बिसालू तह0 फागी में वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 को 1/5 –1/5 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को निर्णय कोर्ट कैम्प चॉदमाकलां न्यायालय में मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

सीताराम पुत्र लादू जाति ब्राहमण निवासी बिसालू तह0 फागी जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. मोहन
2. जगदीश
3. राधेश्याम पुत्रान लादू जातियान ब्राह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
4. मोहनी देवी पत्नी स्वं0 रामावतार जाति ब्रह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
5. अभिषेक
6. अरविन्द
7. अंकित पुत्रान स्वं0 रामवतार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मोहनी देवी पत्नी स्वं0 रामवतार जाति ब्राह्मण निवासी बिसालू तह0 फागी
8. तहसीलदार तहसील फागी

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निशेधाज्ञा

मुकदमा नं0 – 92/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी **श्री सुरेन्द्र शर्मा, रवि कुमार जैन एडवोकेट** हाजिरी रूबरू प्रतिवादी **श्री रमेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः लोक अदालत की भावना के अनुरुप मुताबिक राजीनामा वादी का वाद बिरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 444/678 रकवा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बिसालू तह0 फागी में वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 को 1/5 –1/5 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/06/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....
मुहर
ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	Nil		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	Nil	

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर